डीजी परिपत्र संख्याः 63 /2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 3 ,2014

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है पुलिस का मुख्य कार्य अपराधों की रोकथाम, कारित अपराधों में अपराधियों को प्रचलित कानून के अनुसार सजा दिलाने का है। पुलिस की कार्यकुशलता का आंकलन संगठित अपराधों की रोकथाम और माफिया गिरोहों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने से होता है। पुलिस की तत्परता, निष्ठा, संवेदनशीलता से आपराधिक तत्वों पर जो दबाव पडता है, वह आम जनता को पुलिस के प्रति आश्वस्त करने में एवं उसका मनोबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। माफिया गिरोह के सदस्यों के विरूद्ध कठोर एवं सघन कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, परन्तु किन्ही कारणों से अपेक्षित स्तर की कार्यवाही जनपद स्तर पर नहीं की गयी है।

माफिया गिरोह समाज के लिए एक अभिशाप है और इनके विरूद्ध कार्यवाही मै एक पुनीत कर्तव्य मानता हूँ। कुछ जनपदों में माफिया गिरोह की परिभाषा में कौन लोग आते है, इसके सम्बन्ध में कुछ सन्देह था। वैसे तो यह शब्द बड़ा व्यापक है परन्तु सामान्यतः माफिया शब्द का तात्पर्य अपराधियों के ऐसे संगठन से है जो संगठित अपराध के माध्यम से भारी धन अर्जन करते हैं तथा उक्त धन-बल का प्रयोग कर स्थानीय प्रसाशन को अपने वशीभूत रखते हैं तथा समानान्तर सरकार या प्रशासन चलाने का प्रयास करते । इस लक्ष्य की पूर्ति में अन्य के अतिरिक्त मुख्यतः निम्नलिखित अपराधों के द्वारा समाज में भय एवं आतंक का वातावरण बनाते हैः-

- धन लेकर हत्या करना व करवाना।
- खाली सरकारी/निजी भूमि तथा विवादित भूमि/भवनों आदि का बलपूर्वक कब्जा करना अथवा धन लेकर उसका कब्जा दूसरों को दिलवाना, किराये के मकानों को सस्ते में खरीदने के पश्चात अवैध रूप से जोर जबरदस्ती कर बलपूर्वक किरायेदारों से मकान खाली करवाना।
- बाजार/गल्ला मंडियों/कारखानों आदि से अवैध रूप से जबरदस्ती चन्दा/चौथ आदि की वसूली करना।
- संगठित रूप से अवैध कार्य जैसे तस्करी करना, जुए के अडडे चलवाना, अवैध रूप से पशुओं की तस्करी कराना, गोकशी हेतु अवैध रूप से परिवहन कराना, अवैध रूप से शराब की तस्करी करवाना, अवैध रूप से परिवहन का संचालन कराना, वेश्यालय आदि का संचालन कराना।
- धनी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों/बच्चों आदि का अपहरण करके पैसा वसूलना।
- मादक पदार्थ/द्रव्यों की तस्करी एवं बिक्री।

माफिया गिरोहों के विरूद्ध आप गुण्डा एक्ट, गैगेस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, कोफेपोसा इत्यादि के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते है। पुलिस कार्यवाही के साथ ही साथ अन्य विभागों से सामंजस्य रखते हुए कार्यवाही और अधिक प्रभावी ढ़ंग से की जा सकती है। अन्य विभागों से हमारा तात्पर्य आयकर विभाग, नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण इत्यादि से है।

माफिया गिरोह के सदस्यों को निम्नांकित तीन भागों में बांटना उचित होगा।

1. गिरोह का सरगना।
2. अन्तरंग सदस्य (Hard Core Member)।
3. सामायिक सदस्य (Casual Member)।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि इन गिरोहों को आप विधिवत् सूचीबद्ध करें।

चूँकि माफिया गिरोहों का स्थानीय प्रशासन पर प्रभाव रहता है, अतः यह सम्भव है कि स्थानीय थाने /प्रशासन से इनके बारे में जानकारी देने में ढिलाई की जाए। अतः यह पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उक्त गिरोहों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर उनके कार्य के दायरे के अनुसार जनपद, परिक्षेत्र व जोन स्तर पर उन्हें पंजीकृत किया जाए। यह भी आवश्यक है कि गैंग के मुखिया एवं सदस्यों को एक्टिव लिस्ट में डालकर अथवा हिस्ट्रीशीट खोलकर सतत निगरानी की जाए।

उक्त गैंगों की कार्यप्रणाली के बारे में अभिसूचना संकलित किया जाए तथा गैंग के सदस्यों से गहन पूछताछ कर भी कार्यप्रणाली को गैंग चार्ट के साथ लिपिबद्ध किया जाए तथा माफिया गैंगों की संलग्न प्रारूपानुसार सूची तैयार कर उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस महानिरीक्षक, जोनों के माध्यम से 15 दिवस के अन्दर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

03/10/14

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।</u> (नाम से)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

प्रारूप

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	माफियाओं गिरोहों के मुखिया का नाम	माफिया गिरोहों के सदस्यों का नाम	माफिया गिरोह के सदस्यों के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण						वर्तमान स्थिति			
					गुण्डा	वारण्टी	रा0सु0का0	शस्त्र निरस्तीकरण	हिस्ट्रीशीट	अन्य कार्यवाही	जेल	जमानत	मृत	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15